

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ****आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 2716/2026**

राम आशीष

...आवेदकगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, प्रमुख सचिव, गृहविभाग, लखनऊ के माध्यम से

...विपक्षीगण

आवेदक के अधिवक्ता

: योगेश्वर शरण श्रीवास्तव

विरोधी पक्ष के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता, संतोष कुमार त्रिपाठी

न्यायालय संख्या - 11**माननीय न्यायमूर्ति राजीव सिंह**

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता तथा शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।
2. वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक द्वारा एफ.आई.आर. संख्या 928/2023, धारा 147, 149, 308, 452, 323, 504, 506, 427, 325, 336 भा.दं.सं., थाना कोतवाली नगर, जनपद गोंडा के अंतर्गत दाखिल किया गया है, जिसमें उसे जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की गई है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक को वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक को पूर्व में चार अन्य मामलों में भी अभियुक्त बनाया गया है, जिनमें से तीन मामलों में उसे पहले ही जमानत प्रदान की जा चुकी है तथा एक अन्य मामले में उसे सक्षम प्राधिकारी/न्यायालय की ओर से अभी तक कोई समन प्राप्त नहीं हुआ है।

यह भी प्रस्तुत किया गया है सह- अभियुक्त नरेन्द्र गिरि को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 15.05.2026 को आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 525/2026 में पारित आदेश के माध्यम से जमानत प्रदान की जा चुकी है। अंत में यह प्रस्तुत किया गया कि निकट भविष्य में विचारण के समाप्त होने की कोई संभावना नहीं है तथा आवेदक दिनांक 01.04.2026 से जेल में निरुद्ध है। ऐसी परिस्थितियों में आवेदक जमानत पाने का अधिकारी है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक जमानत की स्वतंत्रता का कभी दुरुपयोग नहीं करेगा तथा मुकदमे में पूर्ण सहयोग करेगा।

4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक को जमानत दिए जाने की प्रार्थना का विरोध किया, किंतु उन्होंने इस तथ्य पर विवाद नहीं किया कि समान भूमिका वाले सह-अभियुक्त को पहले ही जमानत प्रदान की जा चुकी है।

5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता के परस्पर विरोधी तर्कों, सह-अभियुक्त के साथ समानता के आधार तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री एवं मामले के समस्त तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के उपरांत, मेरा मत है कि यह जमानत प्रदान किए जाने योग्य उपयुक्त मामला है। अतः समानता के आधार पर जमानत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

6. आवेदन स्वीकार किया जाता है।

6. आवेदक राम आशीष को एफ.आई.आर. संख्या 928/2023 में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान धनराशि के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा दो विश्वसनीय जमानतदार प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों पर जमानत पर रिहा किया जाए :-

(i) आवेदक ऐसा कोई अपराध नहीं करेगा, जो उस अपराध के समान हो जिसके लिए उस पर आरोप लगाया गया है अथवा जिसके किए जाने का उस पर संदेह है।

(ii) आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो जाए, और न ही साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करेगा।

(iii) आवेदक इस आशय का एक वचनपत्र दाखिल करेगा कि जिस तारीख को गवाह न्यायालय में उपस्थित हों और साक्ष्य दर्ज किया जाना हो, उस तारीख को वह स्थगन की मांग नहीं करेगा। इस शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में विचारण न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानने तथा विधि के अनुसार उचित आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र होगा।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(iv) आवेदक प्रत्येक नियत तारीख को विचारण न्यायालय के समक्ष या तो व्यक्तिगत रूप से अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। यदि वह बिना पर्याप्त कारण के अनुपस्थित रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध धारा 229-ए भा.दं.सं. के अंतर्गत कार्यवाही कर सकता है।

(v) यदि विचारण के दौरान आवेदक जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है, तो उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए उसके विरुद्ध धारा 82 दं. प्र. सं. के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जा सकती

है और यदि आवेदक उक्त उद्घोषणा में निर्धारित तारीख को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध विधि के अनुसार धारा 174-ए भा.दं.सं. के अंतर्गत कार्यवाही प्रारंभ करेगा।

(vi) आवेदक को नियत तिथि पर (a) मामले की प्रारंभिक कार्यवाही के समय;

(b) आरोप तय किए जाने के समय; तथा (c) धारा 313 दं.प्र. सं. के अंतर्गत बयान दर्ज किए जाने के समय विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहना होगा।

यदि विचारण न्यायालय के मत में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर की गई है अथवा उसके पास अनुपस्थिति का कोई पर्याप्त कारण नहीं है, तो विचारण न्यायालय ऐसी अनुपस्थिति को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर उसके विरुद्ध विधि के अनुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



8. उपर्युक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग माना जाएगा और विद्वान अधीनस्थ/विचारण न्यायालय जमानत निरस्त करने के संबंध में उचित आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(न्यायमूर्ति राजीव सिंह)

दिनांक: 10 जून, 2026

वीकेएस

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।